



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237514
CG-DL-E-23072022-237514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3126]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3126]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ. 3287(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2930 (अ) तारीख 26 जुलाई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के कि. मी. 165.625 से कि. मी. 213.000 तक (चित्तौड़गढ़-उदयपुर खण्ड) के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 17 सितंबर 2021 को “राजस्थान पत्रिका” और “दैनिक भास्कर” दोनों ही में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के कि. मी. 165.625 से कि. मी. 213.000 तक (चित्तौड़गढ़-उदयपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: चित्तौड़गढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भदेसर				
	गांव का नाम: भादसोड़ा				
1	783	निजी	व्यावसायिक	0.02	रामचन्द्र पिता चम्पालाल टांक सा. देह खातेदार (783)
	तालुक का नाम: चित्तौड़गढ़				
	गांव का नाम: देवरी				
1	623 Mi	सरकारी	चारागाह	0.0012	चरागाह (623)
2	981/623	सरकारी	बिलानाम	0.0001	बिलानाम (981/623)
	तालुक का नाम: डूंगला				
	गांव का नाम: मंगलवाड़				
1	17	निजी	मगरी	0.0141	बहादुरमाल पुत्र अर्जुनलाल महाजन सा0 देह गैर खातेदार निजीवन विकास हेतु 25 वर्ष की लीज पर (17)
2	2771/17	निजी	छा.क.	0.0202	घीसूलाल पिता डूंगरमल महाजन सा0 देह खातेदार हिस्सा पूर्ण (2771/17)

3	3340/11	निजी	मगरी	0.01	अनिस मोहम्मद पुत्र मुबारिक हिस्सा 1/4, सा0 देह खातेदार मोहम्मद रईस पुत्र मुबारिक हिस्सा 1/4 सा0 देह खातेदार, शाहिन पुत्री मुबारिक हिस्सा 1/4 सा0 देह खातेदार, साहिदा बेगम पत्नी मुबारिक हिस्सा 1/4 सा0 देह खातेदार (3340/11)
4	4293/17	निजी	छा.क.	0.0276	पन्नालाल पुत्र भेरूलाल महाजन सा0 देह खातेदार (4293/17)
5	4297/11	निजी	छा.क.	0.0052	राघव, कनेरीया पुत्र ओमप्रकाश कनेरीया दर्जी सा0 सेंती चित्तौड़गढ़ खातेदार (4297/11)
गांव का नाम: नंगावली					
6	2919/1845 Mi.	निजी	भू.रे.क.	0.0222	रमेशचन्द्र पुत्र भैरूलाल ब्राह्मण सा0 देह खातेदार (2919/1845)
7	2922/1845	निजी	भू.रे.क.	0.0204	रमेशचन्द्र पुत्र भैरूलाल ब्राह्मण सा0 देह खातेदार (2922/1845)
			कुल	0.1410	

[फा. सं. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA/3A/3D]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

S.O. 3287(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2930 (E) dated 26.07.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 76 in the stretch of land from Km. 165.625 to Km. 213.000 (Chittorgarh-Udaipur Section) in the district of Chittorgarh in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” both dated the 17th September, 2021; under sub-section (3) of section 3A of said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from from K.m. 165.625 to Km. 213.000 of National Highway No. 76 (Chittorgarh-Udaipur Section) in the district of Chittorgarh in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN		District: Chittorgarh			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhadesar				
	Village: Bhadsoda				
1	783	Private	Commercial	0.02	Ramchandra S/o Champalal Tank, Sa. Deh Khatedar 783
	Taluk: Chittorgarh				
	Village: Devri				
1	623 Mi	Government	Charagah	0.0012	Charagah 623
2	981/623	Government	Bilanam	0.0001	Bilanam 981/623
	Taluk: Dungla				
	Village: Mangalwar				
1	17	Private	Magri	0.0141	Bahadurmal S/o, Arjun Lal Mahajan Sa. Deh Gair Khatedar Nijivan Vikash Hetu on 25 yrs. Lease 17
2	2771/17	Private	Cha. Ka.	0.0202	Ghisulal S/o, Dungarmal Mahajan Sa. Deh Khatedar Hissa Purna 2771/17
3	3340/11	Private	Magri	0.01	Anish Mohammad S/o, Mubarik Hissa 1/4 Sa. Deh Khatedar Mohammad Rais S/o Mubarik Hissa 1/4 Sa. Deh Khatedar Shahin D/o Mubarik Hissa 1/4 Sa. Deh Khatedar Shahida Begam W/o Mubarik Hissa 1/4 Sa. Deh Khatedar 3340/11
4	4293/17	Private	Cha. Ka.	0.0276	Pannalal S/o Bherulal Mahajan Sa. Deh Khatedar 4293/17
5	4297/11	Private	Cha. Ka.	0.0052	Raghav Kaneria S/o Omprakash

					Kaneria Darji Sa. Senth Chittorgarh Khatedar 4297/11
	Village: Nangawali				
6	2919/1845 Mi.	Private	Bhu.Re.Ka.	0.0222	Ramesh Chandra S/o Bherulal Bhrahman Sa. Deh Khatedar 2919/1845
7	2922/1845	Private	Bhu.Re.Ka.	0.0204	Ramesh Chandra S/o Bherulal Bhrahman Sa. Deh Khatedar 2922/1845
			TOTAL	0.1410	

[F. No. NHAI/NHDP-V/MC-II/BOT/KU/LA/3A /3D]

RAJESH GUPTA, Director